

M.A.(Education) Part-1, Paper-iv
Presented by Dr.Pallavi
Topic- शैक्षिक समाजशास्त्र का प्रकृति

3.4 समाजशास्त्र की प्रकृति

समाजशास्त्र जब एक निश्चित पद्धति, आचरण, प्रक्रिया, दृष्टिकोण एवं सामाजिक विधान संबंधी चर्चा करता है तो मूलतः उसके वैधानिक पक्ष पर तीव्र प्रतिक्रियाएँ होती हैं। कारण, विज्ञान एक निश्चित व निर्धारित प्रक्रिया की अनुपालन करते हुए अग्रसर होता है। अतः यह जानना अनिवार्य हो जाता है कि समाजशास्त्र किस श्रेणी में सम्मिलित है अर्थात् वह विज्ञान है या कला। यद्यपि समाजशास्त्र के जनक **आगस्त कॉम्ट** ने समाजशास्त्र को विज्ञान की संज्ञा दी। किन्तु समाजशास्त्र में यह प्रश्न उठा कि समाजशास्त्र विज्ञान है या नहीं? तो हमें सर्वप्रथम यह भी जान लेना होगा कि विज्ञान किसे कहते हैं?

विज्ञान शब्द को लेकर अधिकांश लोगों के मस्तिष्क में एक गलत अवधारणा आज भी विद्यमान है कि वे विज्ञान का सम्बन्ध उस विषय की विषयवस्तु से लगाते हैं जो प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन करती है। जैसे- भौतिकशास्त्र, रसायनशास्त्र, जीवशास्त्र या वनस्पतिशास्त्र आदि। जो विषय प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन नहीं करते, उसे विज्ञान की श्रेणी में नहीं रखते। यह धारणा एकदम गलत और सत्यता से परे है। जैसा कि **स्टुअर्ट चेज** ने लिखा है कि, "विज्ञान का सम्बन्ध पद्धति से है न कि केवल ठसकी विषय वस्तु से।"

कभी-कभी विज्ञान शब्द को लेकर एक गलती और करते हैं कि विज्ञान शब्द को टेक्नोलॉजी या उसके उपकरणों के लिए प्रयोग करते हैं। इस अर्थ में पंखे, रेडियो, रॉकेट, हवाई जहाज आदि को चलाने के लिए या उसे ठीक करने की तकनीक को या उसके ज्ञान को विज्ञान कह देते हैं। वास्तविकता ये है कि ये सभी चीजे विज्ञान की उपलब्धियां हैं न कि विज्ञान। **चर्चमेन** एवं **एकोफ** कहते हैं "कि विज्ञान ज्ञान प्राप्त करने का तरीका है।" आपके अनुसार विज्ञान का अर्थ कुशल खोज है।

उपर्युक्त व्याख्या से यह स्पष्ट हो जाता है कि ज्ञान की किसी भी शाखा को विज्ञान की श्रेणी में रखा जाए या नहीं इसका निर्धारण करने के लिए उस विषय की विषय वस्तु पर नहीं वरन् उसकी अध्ययन पद्धति पर निर्धारित होता है। इस संदर्भ में **कॉर्ल पियरसन** ने सही कहा है कि, "सभी विज्ञानों की एकता उसकी पद्धति में इस आधार पर यह कहा जा सकता है कि वैज्ञानिक पद्धति से प्राप्त व्यवस्थित ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं न कि केवल उसकी विषय वस्तु में"

इस आधार पर यह कहा जा सकता है कि वैज्ञानिक पद्धति से प्राप्त व्यवस्थित ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। **लुण्डबर्ग** ने वैज्ञानिक पद्धति को तीन स्तरों में बाँटा है-

1. अवलोकन (निरीक्षण),
2. वर्गीकरण,
3. निर्वचन (व्याख्या)

वैज्ञानिक अध्ययन के आधारों पर चर्चा करते हुए जोबर्ग और नैट ने निम्न चार बिन्दुओं का उल्लेख किया है-

1. घटनाओं की निरन्तरता का एक निश्चित क्रम,
2. ज्ञान का उद्देश्य अज्ञानता को दूर करना,
3. अवलोकन या निरीक्षण का प्रयोग,
4. कार्यकारण सम्बन्धों की व्याख्या करना।

3.5 विज्ञान के प्रमुख तत्व

मार्टिण्डेन और **मोनाचसी** ने लिखा है कि, "विज्ञान भी विचार का एक तरीका है अन्य सभी विचारों की तरह यह भी समस्याओं के प्रत्युत्तर में ही उदय होता है। यह अन्य सभी विचारों से प्रधानतः पद्धति में ही भिन्न है। विज्ञान की पद्धतियों की विशेषता यह है कि यह-1. निरीक्षण पर बल देती हैं, 2. विचारों की व्यवहारतः या वास्तविक परीक्षा करने का प्रयत्न करती है। 3. उन प्रयोगों या आदर्श परिस्थितियों का विकास करती है, जिनसे उनके विचारों की परीक्षा हो सके, 4. ऐसे नए उपकरणों का आविष्कार करती है जिनसे अधिन निश्चित रूप से निरीक्षण और यथार्थ माप संभव हो, 5. अपने अध्ययन से वैज्ञानिकों के निजी आदर्शात्मक मूल्यांकनों का दृढता से बहिष्कार करती है और इस समस्या पर अपना ध्यान केन्द्रित करती है कि घटनाएं वास्तविक रूप से कैसे घटित होती हैं, न कि क्यों होती हैं अथवा कैसी होनी चाहिए?"

उपर्युक्त सम्पूर्ण व्याख्या के आधार पर विज्ञान के लिए निम्नलिखित तत्वों का होना अवश्य जरूरी है -

1. अवलोकन -अवलोकन का तात्पर्य अनुसंधानकर्ता द्वारा स्वयं घटना का निरीक्षण करना है। गुडे और हट्ट लिखते हैं कि विज्ञान अवलोकन से प्रारम्भ होता है और उसकी सत्यता के लिए आखिर में अवलोकन पर ही लौट आना पड़ता है। पी बी. यंग ने लिखा है कि अवलोकन नेत्रों द्वारा एक उद्देश्यपूर्ण अध्ययन है। विज्ञान के लिए अवलोकन का अपना विशेष महत्व है।

2. सत्यापन और वर्गीकरण -सत्यापन का तात्पर्य अवलोकन से प्राप्त तथ्यों की सत्यता की जांच करना है अर्थात् सत्यापन का अर्थ प्राप्त तथ्यों या निष्कर्ष की प्रमाणिकता का पता लगाना है।

3. रचनात्मक विचार शक्ति -रचनात्मक विचार शक्ति ने ही आज विश्व को इस अवस्था में लाकर खड़ा कर दिया है। अध्ययन के क्षेत्र में घटनाएँ जो दिखाई देती हैं, उन्हीं तथ्यों का संकलन करता है इन्हें देखकर अनुसंधानकर्ता के मस्तिष्क में यह बात आनी चाहिए कि ये घटनाएँ क्यों घटित हुईं? इन तथ्यों का क्या अर्थ है? इनसे कैसे निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं? किन-किन सिद्धांतों का निरूपण किया जा सकता है? यही रचनात्मक विचार शक्ति है जिसके बारे में कार्ल पियरसन ने कहा है, "सिद्धान्तों की खोज रचनात्मक विचार शक्ति के द्वारा हो संभव हो सकती है।"

3.6 समाजशास्त्र की वास्तविक प्रकृति

समाजशास्त्र की उपर्युक्त तर्कपूर्ण व्याख्या के बाद यह स्पष्ट है कि समाजशास्त्र एक विज्ञान है। लेकिन प्रश्न यह उभरता है कि इसकी वास्तविक प्रकृति क्या है और यह किस तरह का विज्ञान है? इस प्रश्न का उत्तर समाजशास्त्री रॉबर्ट बीरस्टीड ने अपनी पुस्तक 'द सोशल ऑर्डर' में इस प्रकार दिया है -

1. समाजशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है, प्राकृतिक विज्ञान नहीं-वास्तव में यह अंतर विषय वस्तु की दृष्टि से है न कि प्रणाली की दृष्टि से। समाजशास्त्र के अन्तर्गत केवल प्राकृतिक प्रघटनाओं का अध्ययन किया जाता है, प्रकृति प्रघटनाओं का नहीं। यद्यपि समाजशास्त्र के अन्तर्गत प्राकृतिक प्रघटनाओं का सामाजिक जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसका भी अध्ययन किया जाता है, तथापि सामाजिक सम्बन्ध तथा गैर सामाजिक प्रघटनाओं के पारस्परिक सम्बन्ध और सह सम्बन्धों का अध्ययन मूलतः सामाजिक दृष्टि से ही किया जाता है। अतः समाजशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है, न कि प्राकृतिक विज्ञान।

2. समाजशास्त्र एक निरपेक्ष विज्ञान है, आदर्शात्मक नहीं यह अपने आपको क्या है न कि क्या होना चाहिए जैसे विवरणों तक ही सीमित रखता है। विज्ञान के रूप में समाजशास्त्र आवश्यक रूप से मूल्यों के विषय में चुप रहता है, वह यह निश्चित करने में असमर्थ रहता है कि समाज किस दिशा में जाए? सामाजिक नीति के

सम्बन्ध में वह कोई सुझाव नहीं देता। जीवन मूल्यों के चयन में न तो समाजशास्त्र और न अन्य किसी प्रकार के विज्ञान को निर्णय देने का अधिकार है। यह ऐसा सिद्धान्त है जो समाजशास्त्र को विज्ञान के रूप में अन्य सामाजिक विज्ञानों जैसे - राजनीति शास्त्र, दर्शन, नीतिशास्त्र और धर्म से पृथक करता है।

3. समाजशास्त्र एक परिशुद्ध विज्ञान है, व्यावहारिक नहीं-समाजशास्त्र का तात्कालिक लक्ष्य मानव समाज के विषय में ज्ञान प्राप्त करना है, उस ज्ञान का उपयोग करना नहीं। भौतिकशास्त्री पुलों का निर्माण नहीं करते, शरीर क्रियात्मक वैज्ञानिक निमोनिया से पीड़ित व्यक्तियों का इलाज नहीं करते तथा रसायनशास्त्री दवाई की दुकानों पर नुस्खे नहीं बनाते। इसी प्रकार समाजशास्त्र सामाजिक नीति के प्रश्नों का निर्णय नहीं करते और न विधायकों को यह बताते हैं कि कौन से कानून बनाए जाएँ तथा कौन से रद्द किए जाएँ न यह बीमारों, लंगड़ों, अंधों और गरीबों के लिए सहायता कार्य करते हैं। समाजशास्त्र परिशुद्ध विज्ञान के रूप में ज्ञान प्राप्ति में लगा रहता है। यह ज्ञान प्रशंसकों, विधायकों, कूटनीतिज्ञों, अध्यापकों, पर्यवेक्षकों, समाज सुधारकों के लिए लाभप्रद होता है। समाजशास्त्र स्पष्टतया और निश्चित रूप से समाज के विषय में ज्ञान प्राप्त करता है जिसका उपयोग विश्व की कुछ समस्याओं के समाधान में किया जा सकता है। परन्तु वह स्वयं एक व्यावहारिक विज्ञान नहीं है।

4. समाजशास्त्र सापेक्षिक रूप से एक अमूर्त विज्ञान है, मूर्त नहीं -समाजशास्त्र का विषय सामाजिक सम्बन्ध है जो अमूर्त है। अतः स्पष्ट है कि सामाजिक संबंध कोई प्रत्यक्ष स्थूल वस्तु नहीं है क्योंकि सम्बन्ध ऐसी वस्तु नहीं है जिसे आंखों से देखा जा सके। निष्कर्षतः समाजशास्त्र एक अमूर्त विज्ञान है, मूर्त विज्ञान नहीं।

5. समाजशास्त्र एक सामान्यीकरण विज्ञान है, विशिष्टवादी या व्यक्तिवादी नहीं-समाजशास्त्र के अन्तर्गत मानवीय अन्तःक्रियाओं तथा समितियों और मानवीय समूहों और समाजों की प्रकृति, स्वरूपों और विषयवस्तु और संरचना के सामान्य नियमों और सिद्धांतों की खोज की जाती है। इतिहास की भाँति वह विशिष्ट समाजों और विशिष्ट घटनाओं का पूर्ण और विस्तृत वर्णन नहीं करता। यद्यपि इस अंतर के विषय में समाजशास्त्रियों में विवाद रहा है तथापि आज निर्विवाद रूप से अधिकांश समाजशास्त्री इस शास्त्र को एक सामान्य विज्ञान मानते हैं।

6. समाजशास्त्र एक तार्किक विज्ञान होने के साग-साथ अनुभवात्मक विज्ञान भी है - समाजशास्त्र के अन्तर्गत वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रयोग किया जाता है। अतएव इसके अन्तर्गत केवल इन्हीं तथ्यों का अध्ययन सम्मिलित किया जाता है जिन्हें तर्क के द्वारा सिद्ध किया जा सकता है।

उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि समाजशास्त्र सामाजिक, निरपेक्ष, परिशुद्ध, अमूर्त, सामान्य निर्धारक, तार्किकता के साथ अनुभवात्मक और एक सामान्य विज्ञान है।

वर्तमान में, सामाजिक विज्ञान शिक्षण अत्यन्त महत्वपूर्ण है। यह बदलते हुए समाज, सामाजिक अवस्थाओं, रहन-सहन, रीति-रिवाज, आचार-विचार तथा सामाजिक व धार्मिक प्रवृत्तियों के साथ समायोजन कर सकने योग्य बनाता है।

नागरिकों में आवश्यक गुणों का विकास होता है। यह हमें अपने वातावरण का ज्ञान कराता है जिसमें विद्यार्थियों के व्यक्तित्व पर प्रभाव पड़ता है और मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी इसका अध्ययन आवश्यक है। इससे छात्रों का नैतिक विकास भी होता है और अन्ततः स्वयं समाज का भी विकास होता है।

विद्यालयी पाठ्यक्रम में 'सामाजिक अध्ययन' विषय का समावेश एक अद्यतन पटना है। यद्यपि संयुक्त राज्य अमेरिका में सन् 1892 में Social Studies शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया तथा सन् 1916 में इसे एक स्वतंत्र विषय के रूप में स्वीकार किया गया तथापि भारत में माध्यमिक शिक्षा आयोग (1953) के प्रतिवेदन के बाद ही इसे माध्यमिक शिक्षा तक के पाठ्यक्रम में एक अनिवार्य विषय के रूप में स्थान दिए जाने के उपक्रम आरंभ हो

सके। 10+2 नवीन शिक्षा योजना के अन्तर्गत दस वर्षीय विद्यालय पाठ्यक्रम में अब इसे देश में सर्वत्र समाविष्ट किया जाना अनिवार्य अंग बनाए जाने के सम्बन्ध में जो कुछ भी प्रयास हुए हैं, वे इसके सत्यप्रत्यय को ठीक से न समझ पाने के कारण प्रभावहीन एवं निरर्थक सिद्ध हुए हैं। अतः सामाजिक अध्ययन विषय को शिक्षा के नवीन सोपान में सम्मिलित कर लिया गया है।

भारत में सामाजिक अध्ययन का शिक्षण अभी अपनी प्रयोगावस्था में है। माध्यमिक शिक्षा आयोग ने अपने प्रतिवेदन में जूनियर हाई स्कूल तथा दो वर्ष के लिए उच्चतर माध्यमिक कक्षाओं के लिए इसका पाठ्यक्रम निर्धारित किया है। पहले शिक्षालयों के पाठ्यक्रम में तीन आर '3 R' को स्थान दिया जाता था। उस समय छात्रों को अपनी आजीविका कमाने में सहायता प्रदान करनी थी, बाद में शिक्षा के पाठ्यक्रम में इतिहास, भूगोल, आदि को भी सम्मिलित किया गया, जिनके शिक्षण का मुख्य ध्येय सांस्कृतिक माना गया। परन्तु अब से कुछ समय पूर्व तक शिक्षा के सामाजिक उद्देश्य पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। इसका प्रमुख कारण मानवीय सम्बन्धों के स्पष्टीकरण के लिए शिक्षालय में किसी प्रकार की व्यवस्थित शिक्षा देने की आवश्यकता नहीं महसूस की गई, परन्तु आज का समाज बहुत ही जटिल हो गया है। इस कारण शिक्षाशास्त्रियों ने सामाजिक शिक्षा को शिक्षालय में व्यवस्थित रूप से स्थान प्रदान करने के लिए बल दिया। प्राचीन काल में व्यक्ति मानवीय सम्बन्धों का ज्ञान परिवार, से आकस्मिक रूप से प्राप्त कर लेता था। परन्तु आज ऐसा सम्भव नहीं है। परिवार शिक्षा का एक महत्वपूर्ण साधन था, आज वह अपने इस स्थान को खो बैठा है।

3.7 सामाजिक अध्ययन की आवश्यकता

सामाजिक विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी ने आज के मानव समाज में महान् परिवर्तन ला दिये हैं। इन परिवर्तनों के फलस्वरूप उसके स्वरूप, आकार, आदि में व्यापक परिवर्तन आ गये हैं। साथ ही मानवीय सम्बन्धों में जटिलता को समझने तथा उस नवीन समाज के परिवर्तित स्वरूप तथा मानवीय सम्बन्धों की जटिलता को समझने तथा उस नवीन समाज में व्यवस्थित होने के लिए सामाजिक विषयों का ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक है। जैसा कि हम गत अध्याय में देख चुके हैं, सामाजिक अध्ययन आधुनिक विश्व एवं उसकी सभ्यता को स्पष्ट करने में सहायक है। इस कारण इस परिवर्तित समाज को समझने के लिए सामाजिक अध्ययन की आवश्यकता है। कारण, यह उसकी वर्तमान परिस्थितियों को स्पष्ट करने तथा उसमें व्यवस्थित होने की क्षमता उत्पन्न करने में समर्थ हो सकेगा।

प्रजातंत्र ने भी सामाजिक अध्ययन की आवश्यकता को स्पष्ट किया है। प्रजातंत्र की समस्याओं को समझने एवं उनके समाधान के लिए भी इसकी आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त आज के भौतिकवाद, भ्रष्टाचार, अपव्यय, स्वार्थता, अहंवाद, आदि ने भी सामाजिक अध्ययन की आवश्यकता को स्पष्ट कर दिया है। इसके द्वारा मनुष्यों ने सामाजिक कुशलता, सहयोग, सजगता, परोपकारिता आदि गुणों का विकास किया जा सकता है। इन गुणों से युक्त व्यक्ति दूषित प्रभावों एवं कुप्रवृत्तियों तथा बुराइयों से समाज की रक्षा कर सकेंगे।

आज का युग अन्तर्राष्ट्रीयता का युग है। इस दृष्टिकोण से भी सामाजिक अध्ययन की बहुत आवश्यकता है। इसका ज्ञान अन्तर्राष्ट्रीय सद्भावना तथा विश्व शान्ति की स्थापना के लिए परमावश्यक है। जब तक मानवीय सम्बन्धों को नहीं सुधारा जायेगा; तब तक विश्व-शान्ति एवं विश्व-मैत्री की भावनाओं का विकास नहीं हो पायेगा। सामाजिक अध्ययन की आवश्यकता मनोवैज्ञानिक, सामाजिक तथा शैक्षिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है।

आज का भारतीय समाज कल के समाज से सर्वथा भिन्न है। इसके आकार-प्रकार तथा रूप - रंग में बहुत से परिवर्तन हुए हैं। इन सामाजिक परिवर्तन ने सामाजिक अध्ययन की शिक्षा की आवश्यकता को प्रदर्शित किया है। यहाँ स्वतः ही यह प्रश्न उपस्थित हो जाता है कि वे कौन-कौन से परिवर्तन हैं, जिन्होंने भारतीय समाज के स्वरूप में परिवर्तन- उत्पन्न करने में सहायता की है:-

(1) जनतंत्रात्मक शासन,

(2) समाजवादी राज्य,

(3) कल्याणकारी राज्य,

(4) सर्वोदय

(5) ग्राम-पंचायत की व्यवस्था

(6) औद्योगिक प्रगति

(7) वैज्ञानिक अविष्कारों का प्रभाव

(8) विभिन्न समस्याएँ-जाति-प्रथा, बेकारी की समस्या, खाद्यान्न की समस्या, अधिक जनसंख्या को समस्या, सुरक्षा की समस्या, निरक्षरता आदि।

जनतंत्रात्मक शासन-सदियों की गुलामी के बाद देश को स्वतंत्रता मिली। 15 अगस्त पुण्य राष्ट्र-पर्व बन गया, साथ ही नयी-नयी समस्याओं और उत्तरदायित्वों को भी साथ लाया। नवीन युग के सूत्रपात के साथ समस्त राष्ट्र के निवासियों को अहसास हुआ कि वे युगों से चली आ रही परतंत्रता की प्राचीर को ध्वस्त करके सुखद व सुनहले युग में प्रवेश कर रहे हैं, जहाँ चारों तरफ स्वतंत्रता का परिवेश है। सभी नागरिक अधिकार जैसे मूल अधिकार, राजनीतिक, सामाजिक एवं धार्मिक अधिकार और हमने स्वतंत्रता, समानता तथा भाईचारे का पाठ पढ़ा। इसके बाद दूसरा कदम प्रजातंत्र की ओर बढ़ाया और 26 जनवरी, 1950 को अपने राष्ट्र को एक प्रजातंत्रात्मक गणतंत्र घोषित किया। इस कदम ने भारतीयों के कंधों पर बहुत बड़ा भार डाला। इस कदम को सार्थक एवं कर्तव्यों का पूर्ण रूप से निर्वाह कर सकें। इस कदम की सफलता के लिए यह आवश्यक हो गया कि छात्रों को ऐसी शिक्षा प्रदान की जाय; जिससे वे योग्य नागरिक बनकर अपने वर्तमान प्रजातंत्रात्मक समाज को विकास के नवीन आयाम प्रश्न कर सकें।

समाजवादी राज्य- भारतीय समाज में दूसरा महत्वपूर्ण परिवर्तन यह हुआ है कि उसने समाजवादी समाज की स्थापना की ओर कदम उठाया। पश्चात् देशों में इसको हिंसात्मक क्रांति द्वारा ग्रहण करने का प्रयत्न किया गया, परन्तु भारतीय समाज ने इस ओर शांतिपूर्ण कदम उठाये। उन्होंने इसको सर्वोदय तथा भूदान आदि अहिंसात्मक आन्दोलनों द्वारा ग्रहण करने का कदम उठाया। स्वर्गीय प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, 'मैं समाजवादी राज्य में विश्वास करता हूँ और शिक्षा को इस ध्येय की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए।' यदि शिक्षा एक उद्देश्य को प्राप्त करना चाहती है तो उसे अपने पाठ्यक्रम में उन विषय-सूचियों को रखना पड़ेगा। जिनके द्वारा नागरिकों में सामाजिक कुशलता, सहयोग, सहकारिता, सामूहिकता, सामाजिक न्याय, आदि गुणों का विकास हो सके। सामाजिक अध्ययन इस ध्येय की प्राप्ति में बहुत ही सहायक है। इसके शिक्षण का मुख्य ध्येय सामाजिक चरित्र का निर्माण करना है।

उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट होता है कि भारतीय समाज के दृष्टिकोण में जो परिवर्तन हुआ, उसमें नागरिकों को व्यवस्थित होने के लिए सामाजिक अध्ययन का शिक्षण अति आवश्यक है। इसी आवश्यकता की पूर्ति हेतु इस शिक्षा के पाठ्यक्रम में उचित स्थान दिया गया।

कल्याणकारी राज्य-भारतीय संविधान में राज्य के नीति निदेशक तत्वों का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 39 उस मार्ग का वर्णन करता है जिस पर बात कर कल्याणकारी राज्य की स्थापना की जा सकती है। अनुच्छेद 39 के विभिन्न भागों का उल्लेख इस प्रकार है

अनुच्छेद-19

(क) "राज्य सभी नागरिकों को समान रूप जीविका के पास राघव प्रदान करने का प्रयास करेगा।"

(ख) "राज्य भौतिक साधनों स्वामित्व नियंत्रण व्यवस्था करेगा जिससे सार्वजनिक कल्याण हो सके।"

(ग) "राज्य इस बात का ध्यान रखेगा कि पूंजी और उत्पादन के साधनों का इस प्रकार केन्द्रीयकरण न हो कि सार्वजनिक हित को किसी प्रकार की हानि पहुँचे।"

(घ) "राज्य प्रत्येक नागरिक को अर्थात् स्त्री और पुरुष को समान कार्य लिए समान वेतन प्रदान करेगा।"

(ङ) "राज्य श्रमिक पुरुषों, स्त्रियों बालकों के स्वास्थ्य, शक्ति तथा बालकों की सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग नहीं होने देगा। साथ-ही वह ऐसी व्यवस्था करेगा जिससे नागरिकों आर्थिक विवशता कारण ऐसे रोजगारों में न जाना पड़े जो उनकी आयु या शक्ति या स्वास्थ्य के प्रतिकूल हों।"

(च) "राज्य शिशुओं तथा बालकों के शोषण से तथा आर्थिक परित्याग से रक्षा करेगा।"

अनुच्छेद-40 "राज्य अपने नागरिकों के पौष्टिक आहार तथा जीवन-स्तर को उच्च बनाने तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य के सुधार को प्राथमिक कर्तव्य मानेगा।"

अनुच्छेद 41-"राज्य व्यवस्था करेगा कि सभी नागरिकों को यथोचित एवं मानवोचित दशाएँ प्राप्त हो सकें। साथ ही स्त्रियों को पर्याप्त प्रसूति सहायता प्रदान करने का प्रयास करेगा।"

अनुच्छेद-45 "राज्य सब बच्चों को चौदह वर्ष की अवस्था समाप्ति अनिवार्य शिक्षा पूर्णतः निःशुल्क रूप में प्रदान करने के लिए व्यवस्था करेगा।"

राज्य ने उक्त निदेशक तत्वों के अनुसार व्यावहारिक योजना बनाई। जैसे- पंचवर्षीय कार्यान्वयन, उत्पादन विभिन्न साधनों राष्ट्रीयकरण, निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा व्यवस्था आदि। इन योजनाओं से परोक्ष रूप से नागरिकों को जागरूक करने सहायता मिली क्योंकि इनके कारण नागरिकों के ऊपर उनके संचालन एवं संगठन का भार आया। इस प्रकार नागरिकों के उत्तरदायित्वों, संस्थाओं, समितियों, संगठनों आदि में वृद्धि हुई। लेकिन दूसरी तरफ उनके जीवन में विभिन्न प्रकार की जटिलताएँ भी उत्पन्न हो गयीं। इन मानवीय संबंधों को सरल एवं स्पष्ट करने, नागरिक को इन दायित्वों का पूर्ण रूप से निर्वाह करने तथा जटिल जीवन को समझने के लिए व्यवस्थित रूप से सामाजिक शिक्षा देने की आवश्यकता हुई, क्योंकि व्यक्ति को परिवार में इसकी शिक्षा न मिल सकी। इसलिए विद्यालय में इसकी व्यवस्थित रूप से शिक्षा देने का प्रबंधन किया गया और सामाजिक अध्ययन का शिक्षण इनको सरल एवं स्पष्ट करने के लिए अति उपयोगी समझा गया।

3.8 सर्वोदय तथा ग्राम पंचायतों की व्यवस्था

विनोबा भावे ने सर्वोदय आन्दोलन सूत्रपात द्वारा भारतीय समाज में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने का प्रयास किया। इस आन्दोलन का मुख्य उद्देश्य प्रत्येक समाज के व्यक्तियों के जीवन स्तर में सुखद परिवर्तन उत्पन्न करना था। सभी जन, चाहे वे किसी धर्म या जाति के हों उन्हें विकास के लिए समान अवसर दिये आर्ये। महात्मा गाँधी ने कहा कि राष्ट्र की उन्नति एवं प्रगति के लिए ग्रामों की प्रगति का होना आवश्यक है। उन्होंने कहा ग्राम स्वशासित

तथा आत्म-निर्भर हों। ग्रामों की प्रगति पर ही राष्ट्र की प्रगति निर्भर है। उनके रहन-सहन के स्तर को ऊंचा बनाया जाए। प्रत्येक ग्राम एक स्वशासित एवं आत्म-निर्भर इकाई हो। उनकी उन्नति के लिए उन्होंने कुटीर उद्योगों के विकास, कृषि की उन्नति तथा ग्राम पंचायत के निर्माण पर बल दिया। इस प्रकार उन्होंने भारत में ग्राम समाजवाद को स्थापना पर बल दिया। भारतीय समाज ने इस महान शिक्षक, समाज-सुधारक तथा राष्ट्र पिता की शिक्षाओं के अनुसार कार्य करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाये। इससे घर, परिवार तथा ग्राम के वातावरण में महान् परिवर्तन भी हुए। इन परिवर्तनों के कारण यह आवश्यकता अनुभव हुई कि नागरिकों को इस प्रकार की शिक्षा प्रदान की जाये जिससे कि वे उस वातावरण में अपने को व्यवस्थित कर सकें तथा मानवीय सम्बन्धों को जटिलता और सामाजिक वातावरण को सरल एवं स्पष्ट रूप से समझ सकें। इस आवश्यकता की पूर्ति के लिए सामाजिक अध्ययन के शिक्षण को महत्वपूर्ण समझा गया क्योंकि इसके द्वारा मानवीय सम्बन्धों एवं सामाजिक वातावरण को स्पष्ट किया जाता है। इसके अतिरिक्त यह अध्ययन सामाजिक तथा प्राकृतिक वातावरण अन्योन्य भारत का भी ज्ञान कराता है।

3.9 औद्योगिक प्रगति एवं वैज्ञानिक आविष्कारों का प्रभाव

हमारा देश कृषि प्रधान देश है। स्वतंत्रता पश्चात् राष्ट्र के कर्णधारों ने राष्ट्र की प्रगति हेतु देश के प्राकृतिक साधनों के उपभोग पर बल दिया। इससे देश में बहुत से उद्योगों का विकास हुआ। कल-कारखाने, मिल आदि स्थापित किये गये। अपने देश में ही विभिन्न प्रकार के उत्पादों का उत्पादन प्रारम्भ हो गया। इससे दो लाभ हुए एक-नागरिकों को रोजगार प्राप्त हुआ, दूसरा-देश की आर्थिक स्थिति में सुदुर्वन्त उत्पन्न हुई। परिणामतः भारतीयों के रहन-सहन में चमत्कारिक परिवर्तन देखने को मिला। अतः सामाजिक विज्ञान में समाज के ढाँचे में आमूलचूल परिवर्तन किया। विकास के साथ ही हमारे समाज का पहले सरल रूप था, उसमें जटिलता आ गयी। वैज्ञानिक आविष्कारों ने ग्रामीण वातावरण को अन्तर्राष्ट्रीय वातावरण के सम्पर्क में ला दिया। इन आविष्कारों के कारण आज का विश्व बहुत छोटा हो गया है। ग्रामीण जीवन को भी इन आविष्कारों द्वारा बहुत प्रभावित किया गया है। गाँवों में आज बिजली, ट्यूबवेल, नवीन खादों, औजारों का प्रयोग होने लगा है।

आज का ग्रामीण अपने वातावरण के ज्ञान से ही संतुष्ट नहीं रह सकता, वरन् उसको अन्तर्राष्ट्रीय वातावरण के ज्ञान के विषय में भी जानने को आवश्यकता है। वैज्ञानिक आविष्कारों को प्रतिस्पर्धा ने विश्व को विध्वंस की ओर अग्रसर कर दिया है। इतिहास इस बात का साक्षी है कि इसी प्रतिस्पर्धा ने उसे दो विश्व-युगों का सामना कराया और तौसरे की ओर अग्रसर कर रहा है। यदि मानव शक्ति को विध्वंस से बचाना है तो उसके लिए सामाजिक शिक्षा का ज्ञान होना आवश्यक है, जिससे वह मानवीय सम्बन्धों एवं लगायों का ज्ञान प्राप्त कर सके। इसी आवश्यकता को पूर्ति के लिए प्रत्येक देश सामाजिक शिक्षा को अपने देश की शिक्षा-व्यवस्था में महत्वपूर्ण स्थान प्रदान कर रहा है। इसी कारण, भारत ने भी इसको शिक्षा को पाठ्यक्रम में महत्वपूर्ण स्थान दिया। भारत में इसका अन्य कारण यह है कि भारत सदैव पिथ्य को 'वसुभैव कुटुम्बकम्' का सन्देश देता रहा है। उसके लिए भी सामाजिक अध्ययन का शिक्षण प्रारंभिक स्तर से देना आवश्यक है, जिससे वह सदैव मानव जाति का इस क्षेत्र में नेतृत्व कर सके।

विविध समस्याएँ-जिस समय देश स्वतंत्र हुआ, उस समय उसके की प्रगति एवं उन्नति के लिए अति आवश्यक था। सामाजिक अध्ययन वह शिक्षा है जिसके द्वारा छात्रों को सामाजिक एवं प्राकृतिक वातावरण का ज्ञान और उनकी अन्योन्याश्रितता का ज्ञान कराकर उनमें वह सूझ-बुझ एवं कुशलता प्रदान की जाती है जिससे वह अपने व्यावहारिक जीवन की समस्याओं को सफलतापूर्वक स्वयं हल कर सकें।

उपरोक्त विवेचन से सामाजिक परिवर्तनों की आवश्यकता को महसूस किया जाता है।

समाज के परिवर्तनों की प्रेरणा रूसी, वाल्टेयर, आदि के विचारों से मिली। भारत में इनकी प्रेरणा महात्मा गाँधी, विनोबा भावे, स्वामी दयानन्द, राजा राममोहन राय आदि से प्राप्त हुई। इसके अतिरिक्त मानवीय आवश्यकताएँ तथा परिवर्तन को जन्म देती हैं। एक प्रसिद्ध कहावत है- 'आवश्यकता ही आविष्कार की जननी आर्थिक लिए मानी जाती है। रूसी क्रांति इन्हीं के कारण हुई।

3.10 समाजवाद के क्षेत्रीय कार्य

समाजवाद शब्द का प्रयोग दो संदर्भों में किया जाता है

1. समाज की संरचना के संदर्भ में ।
2. आर्थिक संदर्भ में।

1. समाज की संरचना के संदर्भ में समाजवाद का अर्थ है-वर्ग विहीन समाज अर्थात् ऐसा समाज जाति, धर्म, संस्कृति, लिंग आदि किसी भी आधार पर भेद नहीं किया जाये। सभी को समान दर्जा प्राप्त होता है।

2. आर्थिक संदर्भ में समाजवाद तीन बातों पर बल देता है--

- (i) देश की सम्पूर्ण सम्पत्ति पर राज्य का स्वामित्व हो।
- (ii) सभी व्यक्तियों को उनके श्रम के अनुसार उचित पारिश्रमिक दिया जाए।
- (iii) शारीरिक श्रम और बौद्धिक कार्यों के पारिश्रमिक में न्यूनतम अन्तर हो।

आज विश्व में समाजवाद अपने कई रूपों में देखने को मिलता है, परन्तु भारतीय समाजवाद लोकतन्त्रीय सिद्धान्तों और गाँधीजी के सर्वोदय दर्शन पर आधारित वह समाजवाद है जो व्यक्ति-व्यक्ति में जाति, धर्म और अर्थ आदि किसी भी आधार पर भेद नहीं करता और व्यक्तियों के बीच को आर्थिक विषमताओं को दूर करने के लिए बल प्रयोग एवं हिंसात्मक कार्यवाही के स्थान पर शान्तिपूर्ण तरीकों का समर्थन करता है।

समाजवाद ऐसे कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना चाहता है जिसमें प्रत्येक नागरिक को विकसित होने का समान अवसर मिले। यह वैयक्तिक स्वतन्त्रता के पक्ष में है। कोई ऐसी नीति, जो व्यक्ति को स्वतन्त्रता का हनन करे उपयुक्त नहीं है, यह समाजवाद की प्रमुख धारणा है।

3.11 समाजवाद और शिक्षा

समाजवाद की अवधारणा के अनुसार शिक्षा का स्वरूप क्या है? इसकी एक रूपरेखा उपलब्ध है। इसका कारण यह है कि विश्व का कोई भी राष्ट्र पूर्णतः प्रजातान्त्रिक समाजवादी नहीं है, जो उसके अनुकूल शिक्षा की व्यवस्था करे। वस्तुतः सभी समाजवादी देशों में एक निश्चित आयु तक सभी स्तरों पर शिक्षा निःशुल्क व सार्वभौमिक होनी चाहिए। किसी वर्ग भेद के बिना शिक्षा के सुअवसर सभी को मिलने चाहिए और योग्यता के अनुसार प्रत्येक को आगे बढ़ने का अवसर मिलना चाहिए। युवक और युवतियों को व्यक्तित्व के सामान्य गुणों के विकास का अवसर मिलने के साथ-साथ व्यावसायिक शिक्षा दी जानी चाहिए। जिससे व्यक्तित्व के अन्य पक्ष भी भली प्रकार विकसित हो सके। निरक्षर प्रौढ़ों को साक्षर होने और आगे की शिक्षा ग्रहण करने की सुविधाएं मिलनी चाहिए। उन्हें बौद्धिक विकास के साथ-साथ व्यावसायिक विकास के अवसर मिलने आवश्यक हैं ये सभी बातें प्रजातान्त्रिक समाजवाद के ढाँचे के लिए अत्यन्त आवश्यक हैं। भारत में इन सभी बिन्दुओं हेतु प्रयास तो किए जा रहे हैं, परन्तु समाजवाद के इन पक्षों को आरामा शिक्षा प्रण करना सुविधाएं मिलनी चाहिए। उन्हें बौद्धिक विकास के साथ-साथ व्यावसायिक विकास के अवसर मिलने आवश्यक है। ये सभी बातें प्रजातान्त्रिक समाजवाद के ढाँचे के लिए अत्यन्त आवश्यक हैं। भारत में इन सभी बिन्दुओं हेतु प्रयास तो किए जा रहे हैं, परन्तु समाजवाद के इन पक्षों पर और अधिक विचार किया जाना चाहिए।

मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। उसकी सभी गतिविधियाँ समाज से प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से जुड़ी रहती हैं। शिक्षा का प्राथमिक उद्देश्य यदि कोई हो सकता है तो वह है-मनुष्य में सामाजिकता का विकास। सामाजिक अध्ययन व्यक्ति और समाज से सम्बन्धित विभिन्न विषयों को भली भाँति उन्नत एवं विकसित करता है। सामाजिक अध्ययन के अन्तर्गत विभिन्न विषयों जैसे --अर्थशास्त्र, नागरिक शास्त्र, भूगोल, इतिहास आदि से सामग्री ग्रहण कर उनको समन्वित रूप से इस प्रकार प्रस्तुत किया जाता है कि समाज को कल्याण और उत्थान का अवसर मिले। मूलतः सामाजिक अध्ययन में वास्तविकता एवं व्यावहारिकता पर बल दिया जाता है।

सामाजिक विज्ञान में सामाजिक एवं भौतिक दोनों ही प्रकार के वातावरण की विवेचना की जाती है, क्योंकि इन दोनों में परस्पर में गहरा सम्बन्ध है। अतः इनमें से किसी एक का अध्ययन छोड़ दिया जाए तो दूसरे का अध्ययन करना कठिन हो जाएगा। इस प्रकार सामाजिक विज्ञान विभिन्न विषयों के एकीकृत अध्ययन एवं मानवीय सम्बन्धों के आधार पर आदर्श नागरिक तैयार करने वाला विषय है।

सामाजिक विज्ञान का अध्ययन व्यक्तित्व व समाज से सम्बन्धित होने के कारण एक सामाजिक विषय है। सामाजिक विज्ञान से अभिप्राय है समाज का अध्ययन' अर्थात् सामाजिक सामाजिक विज्ञान में मानव समाज से सम्बन्धित सभी विषयों, क्रियाओं मनुष्य के भौतिक तथा विश्व की सम्पूर्ण मानव जाति का अध्ययन किया जाता है। समाज को कल्याण और उत्थान का अवसर मिले। मूलतः सामाजिक अध्ययन में वास्तविकता एवं व्यावहारिकता पर ल दिया जाता है।

मानवीय ज्ञान की दो शाखाएँ हो सकती हैं-प्राकृतिक सामाजिक विज्ञान एवं सामाजिक सामाजिक विज्ञान। प्राकृतिक सामाजिक विज्ञान का अर्थ सृष्टि से सम्बन्धित विषयों से है, जबकि सामाजिक सामाजिक विज्ञान का सम्बन्ध मानव के उद्गम, संगठन तथा विकास से है। इसके अन्तर्गत मानव का अध्ययन किया जाता है।

सामाजिक विज्ञान को केवल भूगोल, इतिहास, नागरिकशास्त्र व अर्थशास्त्र का योग माना जाता है, परन्तु यह एक धर्मात्मक तथ्य है, क्योंकि इसमें मानवीय सम्बन्धों का भी अध्ययन किया जाता है। यह न केवल पूर्णतः एक नवीन विषय है वरन् शिक्षा के क्षेत्र में एक नया दृष्टिकोण भी है। इस धर्मात्मक धारणा का खण्डन शैक्षिक अनुसन्धान विश्वकोश ने निम्न शब्दों में किया है

"किसी के लिए यह निश्चित करना उचित नहीं है कि सामाजिक विज्ञान का अध्ययन इतिहास, भूगोल व नागरिकशास का गणितीय योग मात्र है। निश्चय ही सामाजिक सामाजिक विज्ञान इन विषयों से पर्याप्त सामग्री प्राप्त करता है, परन्तु उसी सामर्थ्य को ग्रहण करता है, जो मानव के वर्तमान तथा दैनिक सम्बन्धों को स्पष्ट करती है। यह सावधानीपूर्वक नोट किया जाना चाहिए कि इसका स्वरूप परम्परागत विषयों जैसा नहीं है, वरन् एक क्षेत्र-सा है।"

सामाजिक सामाजिक विज्ञान के अन्तर्गत इन विषयों का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता है, वरन् ये सब मिलकर एक नया एकीकृत स्वरूप ग्रहण कर लेते हैं। यह विषय सामाजिक सामाजिक विज्ञान के लिए नवीन आधार प्रदान करता है। इस विषय के द्वाय हम गैरों को अनिवार्य आदतों तथा कुशलताओं का प्रशिक्षण देकर उनमें ऐसी विचाराओं तथा आदर्शों का विकास करते हैं जिससे वे संघीय समाज में एक आदर्श नागरिक का स्थान प्राप्त कर सकें।